Speed Post
E-Mail

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र07–विविध–02 / 2018– 5779   खाद्य, पटना / दिनांक– 17/12/18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान का Model PDS Shop Design के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक 5147 दिनांक 29.10.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की अनुसूची–3 की कंडिका–4 में वर्णित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के आलोक में विभागीय पत्रांक 5147 दिनांक 29.10.2018 द्वारा विभागीय निदेश का अनुपालन हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न / किरासन तेल के भंडारण में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किये जाने की शिकायत मिलती रहती है।

विभागीय पत्रांक 5147 दिनांक 29.10.2018 के आलोक में Model PDS Shop Design संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न Model PDS Shop Design के आलोक में अपने जिला में जन वितरण प्रणाली दुकानों का आधुनिकीकरण करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
17/XII/XVIII

अनु0–यथोक्त।

सरकार के अपर सचिव।

D:\M_2018\Sec_7\PDS letter.doc

MODEL PDS SHOP DESIGN

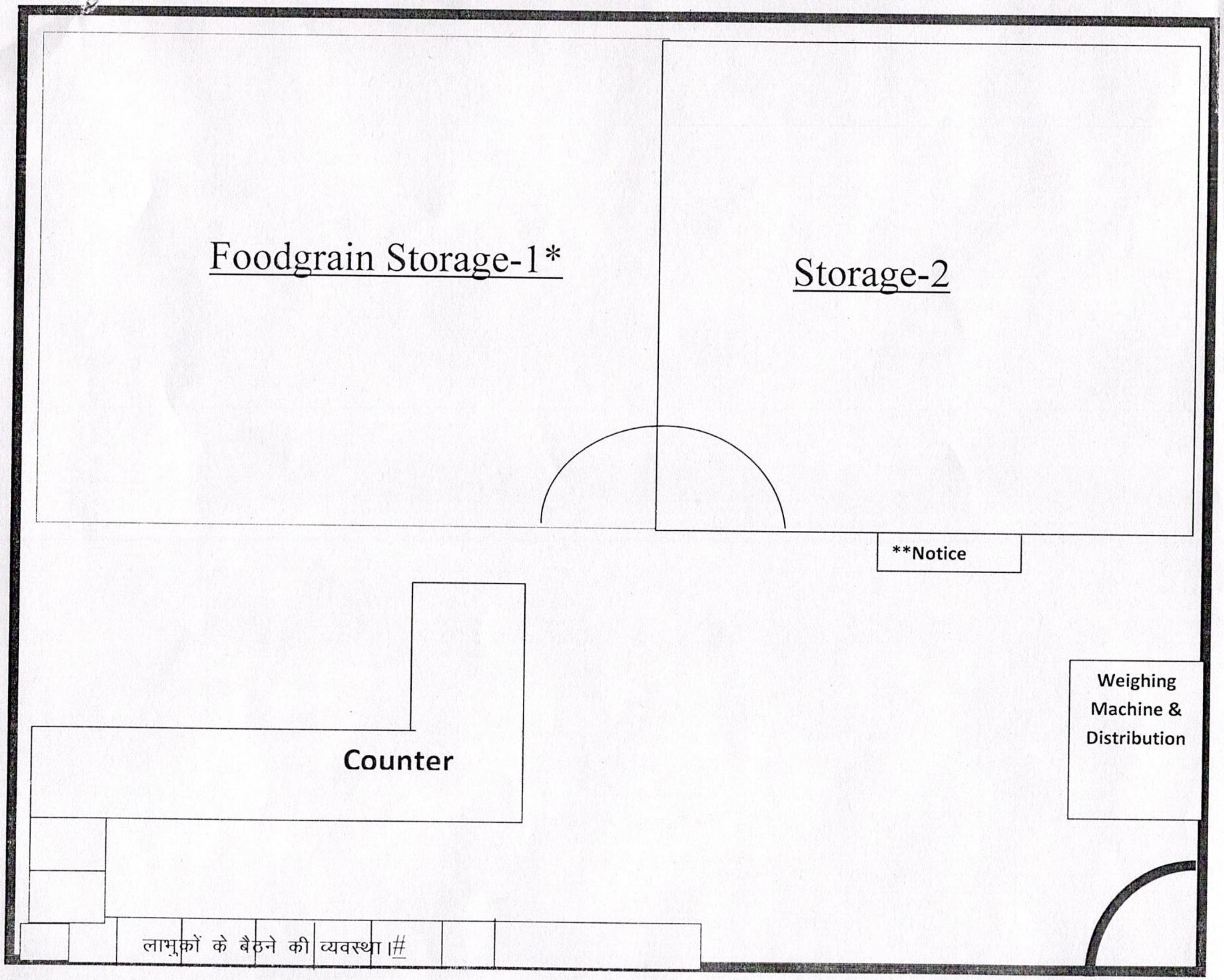

*भंडारण

1. जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न का भंडारण प्रतिमाह आवंटन के अनुरूप
2. खाद्यान्न के बचाव के लिए प्लेटफार्म बनाकर खाद्यान्न का भंडारण, नमी, वर्षा, कीटों, आग से बचाव, पक्का दीवार/पेंट आदि की व्यवस्था।
3. जमीन पक्का एवं दिवार पक्का का होना चाहिए एवं छत रिसावमुक्त हो।
4. किरासन तेल की उचित भंडारण की व्यवस्था एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था ।

**सूचना बोर्ड

1. सूचना पट्ट का न्यूनतम आकार 3' × 2' पीला रंग का होगा, उस पर काला रंग से प्रविष्टि की जायेगी।
2. मूल्य एवं भंडारण प्रदर्शन पट्ट का न्यूनतम आकार 4' × 3' का काला रंग का होगा, जिस पर उजला रंग से प्रविष्टि की जायेगी।
3. दैनिक आधार पर खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की मात्रा का अंकलन।
4. निर्गम का परिमाण।
5. खुदरा निर्गम मूल्य।
6. दुकान खोलने एवं बंद करने का समय
7. .मास के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का स्टॉक।
8. वितरण के पश्चात् शेष की विवरणी।
9. राशन कार्ड के प्रकार।
10. राशन कार्ड की संख्या/ईकाई।
11. लाभुकों की सूची।
12. आवंटित खाद्यान्न /किरासन तेल की मात्रा ।
13. निर्धारित दर।
14. शिकायतों के निपटारा के लिए संचालित पदाधिकारी का टेलीफोन/मोबाईल नं0 ।
15. टॉल फ्री नम्बर– 1800–3456–194

लाभुकों के बैठने की व्यवस्था।

1. बैठने की उचित व्यवस्था।
2. पक्का स्थल।
3. Hygenic एवं गंदगीमुक्त हो।